

NOTARY ARARIA

प्ररूप -26
(नियम 4 क देखिए)



09(नौ) अररिया संसदीय क्षेत्र

AFFIDAVIT No - 187 2018



निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) लोकसभा (सदन का नाम) के निर्वाचन क्षेत्र के आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र।

मैं प्रदीप कुमार सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व० राम लाल सिंह आयु 51 वर्ष जो ओम नगर, वार्ड नं० 08, पो०+थाना+जिला- अररिया, पिन नं०-854311(डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/ करती हूँ।

- (1). मैं भारती जनता पार्टी (राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/ एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।
(जो लागू न हो उसे काट दें)
- (2) मेरा नाम 49 अररिया विधानसभा राज्य, बिहार में (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं. 137 के क्रम सं० 09 पर प्रविष्ट है।
- (3) मेरा/मेरे संपर्क टेलिफोन नं० 09013180185 है/ हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) peadeepksingh.india@gmail.com, है एवं मेरा सोशल मीडिया खाता/खाते (अगर कोई हो) है Twitter Id- Pradeep Kumar Singh@ExMpararia, Facebook Id. peadeepksingh.india @gmail.com तथा

(4). स्थाई लेखा संख्या (पैन) के ब्योरे और आय- कर विवरणी फाईल करने के प्रस्थिति

क्र०	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1.	स्वयं	BDXPS5639A	2017-2018	613565.00
2.	पति या पत्नी	नहीं	नहीं	नहीं
3.	आश्रित-1	नहीं	नहीं	नहीं

प्रदीप कुमार सिंह

4.	आश्रित-2	नहीं	नहीं	नहीं
5.	आश्रित-3	नहीं	नहीं	नहीं

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध(अपराधों) का /की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का /की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/ करेगी।

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।



(क)	प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस स्टेशन/जिला/राज्य के पूर्ण ब्योरे।	1. फारबिसगंज थाना काण्ड संख्या 143/14, थाना फारबिसगंज जिला-अररिया, राज्य- बिहार
(ख)	संबंधित अधिनियम(अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	1. धारा 171(C) भा0द0वी0 एवं 03 सम्पत्ति विरोध अधिनियम (डायमेज ऑफ प्रोपर्टी एक्ट) आदर्श आचारसंघीता का उलंघन करना तथा राजनैतिक दल एवं अपना पोस्टर सरकारी सम्पत्ति(पौल) लगाना तथा सरकारी सम्पत्ति विरूपण (क्षति) करना।
(ग)	न्यायालय का नाम मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख।	1. मुख्य न्यायायिक दण्डाधिकारी, अररिया फारबिसगंज थाना काण्ड संख्या 143/14 जी0आर0 नं0 736/14 संज्ञान तिथि 15. 11.2014
(घ)	न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई।	1. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अररिया
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनका आरोप विरचित किए गए थे।	1. तारीख - 08.01.2016
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है।	नहीं

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है पूर्वोक्त।

मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न):-

पदीय कानूनि

Coddy



(क)	मामला/ प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/ संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे।	1. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी अररिया थाना जोकीहाट, जिला अररिया (बिहार) जोकीहाट थाना काण्ड संख्या 11/2004। संज्ञान तिथि - 22.02.2010 02. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी अररिया, थाना-कुर्साकाँटा, जिला-अररिया (बिहार) कुर्साकाँटा थाना काण्ड संख्या 38/2001 संज्ञान तिथि - 13.09.2011
(ख)	उन मामला के ब्यौरे जहाँ न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है।	1. जी०आर० नं०- 215/2004 (जोकीहाट थाना काण्ड संख्या 11/2004) धारा - 147 148, 341, 323, 504, भा०वि० नाजायज मजमा बनाकर धातक हथियार से लैस होकर वादी को घेर कर गाली-गलोज एवं मार-पीट करना। 2. जी०आर० नं०- 879/2001 (कुर्साकाँटा थाना काण्ड संख्या 38/2001) धारा - 147 148, 149, 307, 427, 353, 188, 337, 338, भा०वि० 27 आर्म्स एक्ट एवं 3 सम्पत्ति विरूपन अधिनियम नाजायज मजमा बनाकर अग्नेशास्त्र एवं धातक हथियार से लैस होकर समान उद्देश्य से निषेधाज्ञा का उलंघन कर सरकारी कार्यालय में तोड़-फोड़ कर सम्पत्ति विरूपित व क्षतिग्रस्त करना तथा हत्या के उद्देश्य से मार-पीट करना एवं सरकारी कार्य में बाधा डालना।
(ग)	पूर्वोक्त आदेशों के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/ आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे।	नहीं

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/ नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है। नहीं दिया गया है।

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा-

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दण्डादेश दिया गया है।

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों)	नहीं
-----	---	------

पुनरीक्षण 2/6/21

सह

	की धारा(धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है।	
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों का नाम मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	नहीं
(ग)	अधिरोपित दंड	नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाईल की गई थी / है। यदि हाँ तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रस्थिति।	नहीं

7. मैं मेरे, मेरे पति या पत्नि और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे:-

टिप्पणी 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।



टिप्पणी 2- जमा विनिधान की दिशा में क्रम सं० रकम जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/ संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पणी 3- सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दिशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पणी 4- यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 75 क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पणी 5- रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथक्कृतया दिए जाने हैं।

क्र०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नि	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	हाथ में नकदी	एक लाख	पाँच हजार	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा)	एस०बी०आई०, अररिया खाता संख्या-01190007218 रकम-1,875.00 एस०बी०आई०, बी०भी०ए म० पटना खाता	पी०एन०बी० शाखा पटना खाता संख्या 2968000101007497 रकम 5000.00 एस०बी०आई०, अररिया खाता	युनियन बैंक आफ इण्डिया, शाखा-अररिया खाता	शून्य	शून्य

परीषद्

Cedex

	जिसमें बचत खाते भी हैं) वित्तीय संस्थाओं गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाईटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	संख्या-10839464397 रकम-2000.00 एस. बी0आई0 नई दिल्ली साउथ एमेन्यू खाता- संख्या- 30831995702 रकम-46160.00 बी0ओ0आई0 अररिया खाता संख्या - 584810110006697 रकम - एक हजार केनरा बैंक अररिया खाता सं0 3147101008059 रकम - एक हजार	संख्या-2038005839 9 रकम-2,000.00	संख्या-6 1080201 0008770 रकम-70 00.00		
(iii)	कम्पनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों डिबेचरों/ पेयरो तथा यूकनटों में निधि और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	बचत ड्राफ्ट बीमा पॉलिसियों में विनिधान के ब्यौरे और ड्राफ्ट घर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखितों में विनिधान और रकम	बीमा पालिसी भारतीय जीवन बीमा निगम पो0 सं0-525315120 बिमित राशि 10 लाख	बीमा पालिसी भारतीय जीवन बीमा निगम पो0 सं0-526529314 बिमित राशि 5 लाख	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म कंपनी न्यास आदि को दि गए वैयक्तिक ऋण/ अग्रिम और ऋणियों से	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



प्रतीकभाषित

Catd

	अन्य पाप्य तथा रकम					
(vi)	मोटर यान/ पायुयान/ याट/ पोत, (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	मोटर साइकिल बुलेट एक रजि0 नं0-बी0आर0-38/34 48वर्ष 1996 रकम 25 हजार सफारी डेकोर गाड़ी रजि0 नं0-बी0आर01ए0पी0/ 3518 वर्ष 2006 रकम 10 लाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
vii	जेवरात बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएँ) भार और मूल्य के ब्यौरे)	सोना 10 ग्राम रकम 36 हजार	सोना 35 ग्राम रकम एक लाख 22 हजार 5 सौ	शून्य	शून्य	शून्य
viii	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ix	समग्र कुल मूल्य	2213035 रु0 मात्र	629500 रु0 मात्र	7000.00	शून्य	शून्य



संयुक्त आस्तियों के ब्यौरे

संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्ररूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्र0	विवरण	स्वयं	पति या पत्नि	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितया) सर्वेक्षक संयांक (संख्या)	मौजा सौरगाँव, खाता-328,231,329	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल पाम)	0.28डी0	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	हाँ पैतृक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दिशा में क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

प्रदीप कुमार सिंह

	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	50 हजार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	गैर कृषि भूमि अवस्थित (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	मौजा बंसन्तपुर, खाता-2438	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र(एकड़ में कुल माप)	रकबा 0.4 डी0 180 वर्ग फु0 अनुमानित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	28.04.1998	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत क्रय की दशा में	12000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम भूमि पर कोई विनिधान	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	पाँच लाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	वाणिज्यिक भवन(अपार्टमेंट सहित अवस्थिति(अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र(वर्गफुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की दिशा में	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित)स्ववस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	मौजा बसन्तपुर खाता -2438 आवासीय पैतृक भवन।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	0.1½ डी0 675 वर्ग फुट अनुमानित स्वयं का	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



46/5 मंगलिका

Catada

	निर्मित (वर्ग फुट में कुल माप)	01डी.450 वर्ग फुट अनुमानित स्वयं का	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम भूमि पर कोई विनिधान	पैतृक भवन(सामुहिक)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	15 लाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	सामुहिक भवन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	20 लाख 50 हजार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

8. मैं , लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ- (टिप्पण: कृपया, बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्र0	विवरण	स्वयं	पति या पत्नि	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	बैंक/ वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शौध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम ऋण की प्रकृति)	एस0बी0आई0 शाखा गुलजारबाग पटना से वाहन ऋण 1067704.00 दिनांक 13.02.2018 तक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूनापूर्ति/पूनापूर्ति से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शौध्य नाम, बकाया , रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	सरकारी शौध्य: सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शौध्य।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शौध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विधुत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शौध्य	शून्य		शून्य	शून्य	शून्य
	टेलिफोन/ मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शौध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी परिवहन(वायुयान और	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

पति/पत्नी/पति

Cajdh

हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य					
आय-कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
धनकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सेवाकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
नगर पालिका/संपत्ति कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क्रियकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कोई अन्य शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii) सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस अधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

9. वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं :- कास्तकारी एवं राजनीति

(ख) पति या पत्नी- गृहणी

(ग) अन्य के श्रोत(श्रोतों) के ब्यौरे :- स्वयं लोकसभा एवं बिहार विधानसभा से पेंशन एवं कास्तकारी

(ख) पति या पत्नी :- गृहणी

10. मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है-

मैट्रिक- बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, उत्तीर्ण वर्ष 1982 विद्यालय, रामनन्दन उच्च विद्यालय रमैई, (अररिया)

(प्रमाणित/डिप्लोमा/ डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/ विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय / महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

रमैई कुमार

भाग-ख

(11) भाग क के (1) से 10 तक में लिए गये ब्यौरे का उदाहरण

1	अभ्यर्थी का नाम	प्रदीप कुमार सिंह
2	डाक का पता	ओम नगर , वार्ड नं0-08, अररिया, पो0+थाना+जिला-अररिया(बिहार), पिन नं0- 854311
3	निर्वाचन द्योत्र की संख्या और नाम	09,अररिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्य बिहार
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	भारतीय जनता पार्टी
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	01(एक)
	(ii) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिसमें (न्यायलयों) ने संज्ञान लिया है (उपर उल्लेखित मामलों से भिन्न)	02(दो)
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष का या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है।(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1) उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाय)	नहीं
7	भारत सरकार का स्थायी लेखा सं0	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गयी है।
		कुल दर्शित आय

प्रदीप कुमार सिंह

Cat

	(क) अभ्यर्थी	BDXPS5639A	2017-18	613565.00		
	(ख) पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य		
	(ग) आश्रित	शून्य	शून्य	शून्य		
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रुपये)					
क्र०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	2213035.00	629500.00	7000.00	शून्य	शून्य
ख	स्थवर आस्तियां	205000.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	I. स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	12 हजार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	II. क्रय के पश्चात स्थवर संपत्ति की विकास / संनिर्माण लगभग (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	III. निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	5 लाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(क) स्वअर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	5 लाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	1550000.00 रु०	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9	दायित्व					
	(i) सरकारी शोध (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	1067704.00 रु०	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
	(i) सरकारी शोध (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

11

उच्चतम शैक्षिक अहर्ता: मैट्रिक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, उर्मीण वर्ष 1982 विद्यालय रामनन्दन उच्च विद्यालय रमैई, (अररिया) प्रमाण-पत्र / डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय / विष्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय / महाविद्यालय / विष्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, ब्यौरा दें)

प्रदीप कुमार सिंह

Cover

सत्यापन

375307

BIHAR

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ की इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-



Authorised Under the Indian Evidence Act (Act I of 1872) read with 8 (I) of the Notaries Act (Act 19 of 1906)

विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

20.02.2018 का सत्यापित किया गया।

Sr/Smt. Pradeep Kumar Singh
Who is identified by A. K. Sharma
Advocate solemnly affirmed
and declare before me.
RKV 20/02/18
Ranjan Kumar Verma
NOTARY
ARARIA (BIHAR)

Pradeep Kumar Singh
20/2/18
अभिसाक्षी

टिप्पण-

1. शपथपत्र मीनाकेन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए

टिप्पण-

2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के सनक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण-

3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तीा खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण-

4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

Additional affidavit to be submitted by candidate

Annexure

Election to **Lok Sabha** (Name of the House).

From 09, Araria (Bihar) Constituency.

NOTARY ARARIA



I **Predeep Kumar Singh** (Name of Candidate), Son/Daughter/wife of **Late Ram Lal Singh** ages 51 years, Resident of **Om Nagar, W.No.- 08, P.O. + P.S.+ Dist. - Araria (Bihar)** Candidate at the above election do solemnly affirm and state on oath as under:-

AFFIDAVIT No - 188 2018



I have not been allotted any govt. accommodation at any time during the period of last 10 year prior to the date of notification of the current election.

OR

- (ii) I have been allotted govt. accommodation at **Lok Sabha Secretariat (MSA Branch) Parliyamant House Annexe New Dehli 110001** (mention the address of the accommodation) during the period of last 10 years prior to the date of notification of the current election, and there are no arrears of any dues to be paid towards rent for the accommodation or any arrears to the agencies providing electricity, water and telephone at the said accommodation as on **15.02.2018** (the date should be the last date of the 3rd month prior to the month in which the election is announced).
- (iii) "No. dues Certificates" from the agencies concerned are attached hereto.

VERIFICATION

Authorized US to of the Indian
Evidence Act (Act I of 1872) read
with 8 (D) (e) of the Notaries
Act (Act II of 1950)

I, the deponent above named, do hereby verify and declare that the above statements are correct to the best of my knowledge, and no parts of it is false.
Verified at **Araria** this the **20.02.2018** day of **Tuesday**.

Subscribed by **Predeep Kumar Singh**
Who is identified by **A.K. Sharma**
Advocate solemnly affirmed
and declare before me.

Ranjan Kumar Verma
NOTARY
ARARIA (BIHAR)

DEPONENT
20/2/18

LOK SABHA SECRETARIAT

(MSA BRANCH)

Telegrams: LOK SABHA, NEW DELHI
FAX: 23010756/23017167

PARLIAMENT HOUSE ANNEXE,
NEW DELHI - 110 001

No.: 150067/15-LS/MSA/LSS/2017-2018

Dated : 15/02/2018

FINAL NO DUES CERTIFICATE

This is to certify that the following 'dues' are outstanding towards **SH PRADEEP KUMAR SINGH, MP (15 Lok Sabha)** as per the information received from various Branch of Lok Sabha Secretariat and allied agencies :

1.	Parliament Library	:	NO DUES as on 13.2.2018
2.	Computer(s)	:	NO DUES as on 13.2.2018
3.	Estate Office	:	NO DUES as on 15.2.2018
4.	NDMC	:	NO DUES as on 15.2.2018
5.	MTNL/BSNL	:	NO DUES as on 13.2.2018
6.	CPI Cell	:	NO DUES as on 13.2.2018
7.	Publications/Sales	:	NO DUES as on 13.2.2018
8.	Committee on Health and Family	:	NO DUES as on 15.2.2018

15/2/18

Sunil
15.2.2018
Executive Officer
Lok Sabha Secretariat
New Delhi
Executive Officer
Lok Sabha Secretariat
New Delhi